न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वत सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 10/2021

उनवान मुकदमा

1. श्रीमती धुली पत्नि देवा चरपोटा जाति भील आयु वयरक निवारी ग्राम अमरपुरा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) —प्रार्थीया

बनाम

1. गोविन्द भोई पिता श्री विठला भोई जाति भोई आयु वयरक निवारी टागटिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. पुरूषोत्तम पिता श्री हिरालाल बलाई जाति बलाई आयु वयरक निवारी खेडारा तहसील सागवाडा जिला डुंगरपुर (राज.) —अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

प्राथीया अधिवक्ता : श्री मुकेश द्विवेदी, श्री प्रवीण चन्द्र सुथार
अप्रार्थीगण अधिवक्ता : श्री यशपाल गुप्ता

आदेश

दिनांक :—28—03—2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश बाबत दिनांक 10.02.2021 को पेश किया। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है तथा उक्त वाद में प्रार्थिया सफल होकर प्रार्थिया के पक्ष में डिक्री होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थिया के स्वामित्व, आधिपत्य व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 91 नया 63 पुराना जमाबन्दी संवत 2074—77 के अनुसार खसरा संख्या 57/1 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 57/3 रकबा 12 बिस्वा कुल खेत नंग 3 कुल रकबा 1 बीघा कुल लगान 1.46 रूपया वाके ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र भचडिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। प्रार्थिया उक्त कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार कृषक व काबिज होकर काश्त कर राज्य सरकार में लगान अदा करती चली आ रही है।

वादग्रस्त आराजीयात की प्रार्थिया एकमात्र खातेदार कृषक होकर प्रार्थिया उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थिया के अलावा किसी अन्य का हक, हित व हिस्सा निहित नही है। प्रार्थिया वादग्रस्त खसरा संख्या 57/1 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 57/3 रकबा 12 बिस्वा कुल खेत नंग 3 कुल रकबा 1 बीघा कुल लगान 1.46 रूपया वाके ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र भचडिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) स्थित पर कृषि कार्य कर रही थी कि अप्रार्थी संख्या 1 करीब एक माह पहले मौके पर आया तथा कहने लगा कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त करने नही दुंगा। मैने कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 से क्रय की है, जिस पर प्रार्थिया ने कहा कि मेरे स्वामित्व व कब्जेशुदा कृषि भूमि पर वर्षो से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा आपने किससे खरीदी है तो अप्रार्थी गाली—गलौच करने लगा व कहने लगा कि तुझे इससे क्या मतलब है, तुम जमीन छोड़ कर चली जा अन्यथा जान से हाथ धो बैठेगी। मैनें अमरपुरा में यह भूमि हाईवे आने पर लोगों के कहने पर क्रय की है तथा इस जमीन पर तुझे काश्त नही करने दुंगा। जिस पर गै पटवार पटवारी के पास गई तो पटवारी ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने अप्रार्थी संख्या 2 की आबादी भूमि क्रय की है। जिस पर मैने राजस्व नकले प्राप्त की। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 मुझे डरा—धमका कर मेरे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहता है, जिसे तत्काल स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है।

वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थिया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात में कृषि कार्य में व्यवधान पैदा कर रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के कृत्य से मुझे असहनीय क्षति हो रही है, जिसका मुल्यांकन रूपयों—पैसों में संभव नही है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है तथा अप्रार्थी संख्या 1 डरा धमका कर प्रार्थिया को मौके से बेदखल करना चाहता है जबकि मौके पर अप्रार्थीगण आज दिन तक काश्त नही की है न ही मौके पर काबिज है। अप्रार्थीगण को आस—पास का कोई खातेदार जानता—पहचानता नही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने हाईवें बनने के कारण किस तरीके से अवैध लाभ लिया जावे, इस आशय से दस्तावेज तैयार कराकर भूमि नाम करा दी जो कि गैर कानूनी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त कृत्य की जॉच कर श्रीमान न्यायालय द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

पंजीबद्ध किया जाना चाहिये जिससे भोले भाले काश्तकारों का अहित नही हो सके तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थिया के कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 57/1 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 57/3 रकबा 12 बिस्वा कुल खेत नंग 3 कुल रकबा 1 बीघा कुल लगान 1.46 रूपया वाके ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र भचडिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) स्थित कृषि भूमि में प्रवेश न करे, जिस हेतु प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रूपांतरित भूमि खसरा संख्या 421 पर जो अवैध निर्माण किया गया है वह प्रार्थिया की स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 57/2 रकबा 4 बिस्वा व 57/3 रकबा 12 बिस्वा भूमि पर लगती हुई भूमि पर निर्माण किया है जो कि अवैध व गैरकानूनी होकर अवैधानिक तरिके से निर्माण कार्य किया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने रूपान्तरण की कार्यवाही की शर्तो का उल्लंघन किया है तथा मौके पर किसी भी प्रकार का सेटबैक भी नही छोड रखा है, इस प्रकार प्रार्थिया के कब्जे काश्त कृषि भूमि में कृषि कार्य करने में बाधा रूकावट पैदा कर रहा है साथ ही प्रार्थिया को अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य करने हेतु आने जाने व बैल, बैलगाडी एवं कृषि साधन ले जाने में व्यवधान पैदा कर रहा है तथा मरने मारने की धमकी दे रहा है।

वादी की कृषि भूमि राष्ट्रीयकृत सड़क से लगी हुई है तथा प्रार्थिया गरीब काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण येन–केन प्रकारेण उसे अपने सर्वे नम्बर 57/2 रकबा 4 बिस्वा व 57/3 रकबा 12 बिस्वा भूमि से बेदखल करना चाहते है जबकि उक्त सर्वे नम्बर की भूमि पर प्रार्थिया वर्षो से कृषि करती चली आ रही है एवं अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थिया की कृषि भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है जो कि गैर कानूनी होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करना आवश्यक है जिस हेतु यह प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है।

प्रार्थिया का वाद व्यवहार कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक माह पूर्व प्रार्थिया को डरा धमकाने से, अवैध निर्माण करने के प्रयास करने से, प्रार्थिया को कृषि भूमि में कृषि कार्य करने में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बाधा व रूकावट पैदा करने से उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद है।

प्रार्थिया का निवेदन है कि बाद कार्यवाही जाप्ता बहक प्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थीगण निम्न अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमावे कि, प्रार्थिया का स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 91 नया 63 पुराना जमाबन्दी संवत 2074–77 के अनुसार खसरा संख्या 57/1 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 57/3 रकबा 12 बिस्वा कुल खेत नंग 3 कुल रकबा 1 बीघा कुल लगान 1.46 रूपया वाके ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र भचडिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है कि संबंध में बहक प्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थिया की उक्त कृषि भूमि में प्रवेश नही करें एवं उसके शान्तिपूर्वक काश्त में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नही करें, न किसी अन्य से करावें। वाद कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त संपत्ति में यदि कोई अवैध निर्माण कर दिया जावे तो उसे आज्ञापक आदेश से ध्वस्त करना फरमावे।

प्रकरण में दिनांक 28–03–2022 को द्विपक्षीय बहस पक्षकारानों के विद्वान अधिवक्ताओं सुनी गई। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण सुथार ने बहस में अपने कथन में बताया कि मेरी खातेदारी भूमि है। भूमि हाईवे पर है, तथा ये पडौस के खातेदार है विपक्षी हमारी जमीन में बार–बार आते है, परेशान करते है, जिससे चूंकि हम इनको बेच दे। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपने कथन में बताया कि अस्थाई निषेधाज्ञा का जो दावा किया है वो खसरा नम्बर 57/1, 57/2, 57/3 का किया है। पक्षकार गोविन्द व पुरूषोत्तम को बनाया है। पुरूषोत्तम ने टामटिया में मोगजी वगैराह से सर्वे नम्बर 56 खरिदी। दक्षिण दिशा में दिनांक 30.07.2001 को उस 3 बीघा 12 बिस्वा में 2400 वर्गमीटर भूमि पुरूषोत्तम ने रूपान्तरण करवाई जिसे पुरूषोत्तम ने गोविन्द को 21–07–2013 को बेच दी। सर्वे नम्बर 56 कन्वर्टेड का सर्वे नम्बर 421/379 बना। मैने जवाब के साथ नक्शा पेश किया है। इनके भूमि आराजी नम्बर 57 में नेशनल हाईवे 113 निकल गया है। वो गलतफहमी में मेरे आराजी नम्बर 56 की भूमि को अपनी समझ कर बता रहा है। अतः अगर उन्हे दिक्कत है तो वो सीमा जानकारी करवा ले। हमने उनकी भूमि पर कोई अतिचार नही किया न ही ऐसी कोई कोशिश कर रहे है। मैं उनकी भूमि पर कोई दखल अंदाजी नही कर रहे हो अपितु वो मेरी भूमि पर ट्रेसपास कर रहे है तथा मेरी ही भूमि पर मेरे खिलाफ 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन ले आए है। अतः 212 खारिज करावे।

फर्द दस्तावेज में जमाबन्दी संवत 2070 से 2074 व जूज नक्शा ट्रेस मौजा अमरपुरा की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक पत्र पेश हुआ। अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.03.2022 को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसमें बताया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 का प्रतिउत्तर है कि, प्रार्थीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। उक्त वाद ठोस आधार पर नही होने के कारण डिक्री होने की कोई संभावना नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो व तीन में प्रार्थिया का यह कथन की खाता संख्या 91 के खेत सर्वे नम्बर 57/1 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 57/3 रकबा 12 बिस्वा, कुल खेत 3 रकबा 1 बीघा, कुल लगानी 1.40, वाके ग्राम अमरपुरा में स्थित है, प्रार्थिया सिद्ध करे तथा उस पर काबिज होकर काश्त कर रही है, उक्त कथन मौके की स्थिति से विपरीत है। वस्तुस्थिति यह है कि, प्रार्थिया के खेत सर्वे नं. 57/1, 57/2 व 57/3 के उत्तर–दक्षिण एन.एच.–113 को रोड निकल जाने के कारण मौके पर प्रार्थीया की स्थित नही है तथा प्रार्थीया की भूमि जो कि एन.एच.–113 के रोड में जाने के कारण प्रार्थीया, अप्रार्थीगण के खेत में प्रवेश करने की चेष्टा कर रही है तथा प्रार्थिया को अपने खेत का एवार्ड (मुआवजा) प्राप्त कर चुकी है।

अप्रार्थी नंबर दो ने मोगजी, नाथु, प्रेमजी, गंगा, कंकु पिता रामा चमार, निवासीयान टामटिया से खाता संख्या 68 नया 69 पुराना, कुल खेत 3, वाके ग्राम अमरपुरा के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है तथा अप्रार्थी नम्बर 2 खसरा नम्बर 56 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा में से रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वदिशा दक्षिण व रोड से पूर्व की तरफ का बजरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.07.2001 को क्रय किया एवं अप्रार्थी नम्बर 2 का नाम राजस्व रेकॉर्ड में खाता नम्बर 68 के खेत सर्वे नं. 379/56 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा दर्ज रेकॉर्ड हुई एवं प्रार्थी ने 57/1, 57/2 व 57/3 कुल रकबा 1 बीघा दक्षिण दिशा की भूमि क्रय की है जो वर्तमान में एन.एच.–113 रोड में चली गई । अप्रार्थी नम्बर 2 ने खाता संख्या 63 का सर्वे नं. 379/56 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में से 1.10 बीघा अर्थात 2400 वर्गमीटर ग्राम अमरपुरा ग्राम पंचायत भचडिया, पटवार गण्डल कूपडा वर्तमान पटवार मण्डल भचडिया तहसील व जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है तथा उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के क्रमांक /राज/2009/2360–66 दिनांक 04.08.2009 से आबादी में परिवर्तित हुई एवं उक्त रूपांतरित आबादी भूमि सर्वे नम्बर 421/379 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, भूखण्ड साईज पूर्व–पश्चिम 71 फीट व उत्तर–दक्षिण 364 फीट कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गमीटर ग्राम अमरपुरा जिसके पूर्व में 379/56, पश्चिम में–ग्रामीण सडक, उत्तर में–सर्वे नम्बर 56 की भूमि व दक्षिण में अन्य की भूमि दिनांक 31.07.2013 को अप्रार्थी नम्बर 2 ने अप्रार्थी नम्बर 1 गोविन्द को विक्रय की एवं गोविन्द काबिज है एवं शेष भूमि अप्रार्थी नम्बर 2 खाता सं. 114 नया 82 पुराने के खेत सर्वे नं. 379/56 रकबा 0.3398 वाके अमरपुरा दर्ज रेकॉर्ड है एवं वर्तमान में उक्त भूमि आबादी है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या चार अस्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन कि, प्रार्थीया के खेत सर्वे नं. 57/1, 57/2, 57/3 कुल रकबा 1 बीघा, वाके ग्राम अमरपुरा में अप्रार्थी सं. 1, प्रार्थीया की काश्त की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि खेती नही करने दूंगा और अप्रार्थी नं. 1 ने कहा कि मैने यह भूमि पुरूषोत्तम से खरीदी है। प्रार्थीया की भूमि रोड में जाने के कारण से प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा कर रही है तथा अप्रार्थी नं. 1 को डरा धमका रही है तथा कह रही है कि एट्रोसिटी व बलात्कार के मुकदमें में फसा दूंगी। प्रार्थीया ने बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस कारण प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या पांच अस्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन कि वह काबिज होकर काश्त कर रही है तथा अप्रार्थी नं. 1 व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तथा अप्रार्थी नं. 1 के कृत्य से क्षति हो रही है जिसका रूपयों में मुल्यांकन नही है, तथा अप्रार्थी नं. 1 के कृत्य से क्षति हो रही है जिसका रूपयों में मुल्यांकन नहीं है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है तथा प्रार्थीयों को डरा धमका रहा है तथा प्रार्थीया मौके पर काबिज है और अप्रार्थी नं. 1 दखलंदाजी कर रहा है तथा अप्रार्थी ने हाईवे से लाभ उठाने के लिये उक्त भूमि क्रय कर दस्तावेज तैयार किये है, उक्त सगरत कथन मनगढंत व मिथ्या है। प्रार्थीया की भूमि एन.एच. –113 रोड में जाने के कारण से अप्रार्थी नं. 1 ने जो रूपांतरित भूमि सर्वे नम्बर 421/379 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का भूखण्ड पूर्व–पश्चिम 71 उत्तर–दक्षिण 364 कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गमीटर ग्राम अमरपुरा जिसके पूर्व में 379/56, पश्चिम में–ग्रामीण सड़क, उत्तर में–सर्वे नम्बर 56 की भूमि व दक्षिण में अन्य की भूमि दिनांक 31.07.2013 को अप्रार्थी नम्बर 2 ने अप्रार्थी नम्बर 1 गोविन्द को विक्रय की एवं गोविन्द काबिज है एवं शेष भूमि अप्रार्थी नम्बर 2 खाता संख्या 114 नया 82 पुराने के खेत सर्वे नम्बर 379/56 रकबा 0.3398 वाके ग्राम अमरपुरा दर्ज रेकॉर्ड है एवं वर्तमान में उक्त भूमि आबादी है पर जबरदस्ती प्रवेश करने की चेष्टा कर रही है, इसलिये प्रार्थीया निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या छः अस्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन कि, अप्राथी सं. 1 ने रूपांतरित भूमि संख्या 421 पर जो अवैध निर्माण किया है, वह प्रार्थीया के स्वामित्व, आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं. 57/2

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

व 57/3 से लगती हुई भूमि पर निर्माण किया है जो अवैध है एवं अप्रार्थी नं. 1 रूपांतरण की शर्तो का उल्लंघन कर प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि में बाधा व रूकावट पैदा कर रहा है तथा प्रार्थीया के आने जाने में व्यवधान पैदा कर रहा है, उक्त समस्त कथन मनगढंत व मिथ्या है। प्रार्थीया की भूमि एन.एच.–113 रोड में जाने के कारण से अप्रार्थी सं. 1 की भूमि में प्रवेश करने की चेष्ठा कर रही है, जो प्रार्थीया का कृत्य अवैधानिक है, जिसके कारण प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या सात अस्वीकार है। प्रार्थीया ने येन–केन उक्त अप्रार्थी नं. 1 की भूमि को हथियाने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज के है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या आठ अस्वीकार है। अप्रार्थी नं. 1 के विरूद्ध किसी भी प्रकार का व्यवहार कारण नही बनता है। प्रार्थीया ने जान–बुझकर उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सव्यय खरिज किया जावे एवं अप्रार्थी नं. 1 को हर्जा–खर्चा दिलाया जावे।

फर्द दस्तावेज में विक्रय पत्र दिनांक 30.07.2001, पास बुक, जमाबन्दी, विक्रय विलेख 02.07.2013, रूपान्तरण, ट्रेस नक्षा की छायाप्रति पेश की है।

पत्रावली में संलग्न प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण का जवाब, संलग्न दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन एवं गहन अध्ययन किया तो पाया कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थिया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 91 नया 63 पुराना जमाबन्दी' संवत 2074–77 के अनुसार खसरा संख्या 57/1 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 4 बिस्वा व खसरा संख्या 57/3 रकबा 12 बिस्वा कुल खेत नंग 3 कुल रकबा 1 बीघा कुल लगान 1.46 रूपया वाके ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र भचडिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित में प्रार्थिया रेकार्डेड खातेदार है। दिनांक 13.01.2021 को पटवारी भचडिया द्वारा जारी जुज नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया जिसमें विवादग्रस्त खसरा नम्बरों का अंकन है। जिसमें प्रार्थिया की भूमि रोड से लगी हुई का अंकन है। अप्रार्थीगण की कन्वर्टेड भूमि इनकी सीमा से लगी हुई होना जाहिर किया है। अप्रार्थीगण की कन्वर्टेड भूमि खाता संख्या 63 सर्वे नम्बर 379/56 रकबा 3.12 बीघा में से 1.10 बीघा अर्थात 2400 वर्गमीटर के रेकार्डेड खातेदार है। जवाब के संलग्न जुज नक्शा ट्रेस मौजा अमरपुरा में सर्वे नम्बर 379/56 का अंकन प्रार्थियां की भूमि के पास स्थित है। उभय पक्षकारान की भूमि के खसरा नम्बर भिन्न–भिन्न है। भूमि पास–पास है। उभय पक्षकारान रेकाडेर्ड खातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण दोनो के पक्ष में आंशिक आंशिक निर्णित किया जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने दोनो ने अपना अपना कब्जा होना जाहिर किया । उभय पक्षकारान अपनी–अपनी भूमि रेकार्डेड खातेदारी भूमि पर काबिज होना जाहिर किये जाने से सुविधा का संतुलन भी उभयपक्षकारान के पक्ष में आंशिक आंशिक निर्णित किया जाता है। ऐसी स्थिति में मैं मेरिट एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णय देना उचित समझता हूँ। चूंकि प्रकरण में प्रार्थिया ने प्रकरण दर्ज करा अपनी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। साथ ही मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी प्रस्तुत किया है। अतः मूल–वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की वे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे कोई निर्माण न करे तथा प्रार्थिया के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 57/1, 57/2 एवं 57/3 में दखल न दे।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–03–2022 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा(राज.)
बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner